कन्हैया / रैगान

31.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act के साथ विचाराधीन होने के संबंध में आपत्ति जाहिर की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा R.T.A. की धारा 212 के अन्तर्गत पेश की गयी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA वाद पत्र के साथ ही पोषणीय है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act के साथ पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जयपुर

Scanned with OKEN Scanner